

न्यायालय, समाहर्ता, -सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

5

आदेश-पत्रक

01620-44/17.18

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

देश पत्रक-ता०.....से.....

जा-खगड़िया.....सा०.....,सन्.....

का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने संबंध में।

श की क्रम और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
06.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3100/सी०आर० दिनांक 12.06.2017 द्वारा पसराहा थाना काण्ड संख्या-126/2016 दिनांक 05.10.2016 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब- Royal Stag कम्पनी का 750 एम०एल० का 27 (सताईस) बोतल, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक पीस 750 एम०एल० का विदेशी शराब जाँच हेतु उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग कुम्हारार, पटना को भेजा गया है, तथा शेष विदेशी शराब 26(छब्बीस) बोतल कुल-19.500 लीटर थाना के मालखाना में रखा हुआ है।</p> <p>750 एम०एल० का Royal Stag कम्पनी का 26(छब्बीस) बोतल विदेशी शराब कुल-19.500 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-03 संलग्न है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-57 में प्रकृत शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पसराहा थाना काण्ड संख्या-126/2016 जप्त देशी/विदेशी शराब कुल-19.500 (उन्नीस लीटर 500 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, पसराहा/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>Handwritten notes and signatures in the right margin, including names like 'Lea... 08 (मा...)' and 'Lea... 08 (मा...)'.</p>

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।